


(अति आवश्यक)



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Education Department

District North, Lucknow Road, Delhi – 110054

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: spd_delhi@rediffmail.com

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि.भ.की सूची/ 2019-20/7218-7245

दिनांक 15/01/20

सेवा में,

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1824, उद्योग सदन पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092.
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली 110002
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिणी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली 110002
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केंद्र सातवां तल, नई दिल्ली 110001
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) सदर बाजार, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली 110010

विषय: स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (सी डब्ल्यू एस एन) को विभिन्न भत्ते के लिए निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त कराने हेतु बच्चों की सूची एकत्रित करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या - यू.ई.ई.एम./आई.ई.-वि.भ. की सूची /2019-20/2594-2604 दिनांक 26/06/19, यू.ई.ई.एम./आई.ई.-वि.भ. की सूची /2019-20/3572-3602 दिनांक 31/07/19, यू.ई.ई.एम./आई.ई.-वि.भ. की सूची /2019-20/4595-4605 दिनांक 12/09/19, यू.ई.ई.एम./आई.ई.-वि.भ. की सूची /2019-20/517/5198-5228 दिनांक 09/10/19 व यू.ई.ई.एम./आई.ई.-वि.भ. की सूची/2019-20/517/5830-55 दिनांक 29/10/19 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (सी डब्ल्यू एस एन) की सूचना दिनांक 06-11-2019 तक मांगी गयी थी। पत्र में यह भी जानकारी दी गयी थी कि प्रारूप में दर्शाये गये सभी कालम में मांगी गई सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही व स्पष्ट भरी होनी चाहिए, कोई भी कालम रिक्त न रहे एवं बच्चों का " बैंक खाता" सक्रिय होना आवश्यक है। प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

विभिन्न जिलों के संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (सी.आर.सी.सी.) द्वारा स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (सी डब्ल्यू एस एन) की सूचना प्रधानाध्यापको से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करके जिले स्तर पर एकत्रित कर ली गयी है।

जिले स्तर से प्राप्त करायी गयी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (सी डब्ल्यू एस एन) की सूची का निरीक्षण / जाँच करने पर पाया गया है कि 718 "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित कुछ सूचना

नहीं दी गयी है जैसे - बैंक खाता संख्या, आई एफ सी कोड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate), छात्र आई.डी. व आधार कार्ड इत्यादि के कालम में NA (Not Available) प्रदर्शित किया गया है।


विभिन्न भर्तों के लिए मुख्यालय स्तर से निर्धारित धनराशि सीधे बच्चों के बैंक खाते में प्राप्त करायी जानी है इसलिए "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" का बैंक खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड व अन्य मांगी गयी सभी सूचनाएं सही-सही व स्पष्ट दी जानी आवश्यक है।

अतः आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि 718 "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची जो साफ्ट कापी(सी डी) में उपलब्ध करायी जा रही है उसका अवलोकन करें एवं आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों /अध्यापकों को निर्देश दे कि जिन स्कूलों में पढ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की सूचना किसी कारणवश उपलब्ध न होने की वजह से अधूरी अथवा नहीं दी गई है उन बच्चों के अभिभावकों से मांगी गयी अपेक्षित आवश्यक सूचना प्राप्त करें इसके पश्चात उक्त सूचना संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (सी.आर.सी.सी.) को दिनांक 23-01-2020 तक अवश्य प्राप्त कराये, ताकि विभिन्न भर्तों के लिए निर्धारित धनराशि मुख्यालय स्तर से सीधे बच्चों के बैंक खाते में प्राप्त करायी जा सके।

"विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना निर्धारित प्रारूप में गलत अथवा अधूरी देने की स्थिति में स्कूलों के संबंधित अधिकारी /कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह पत्र सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने के पश्चात जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : उपर्युक्त



15/01/2020
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
समग्र शिक्षा, दिल्ली

यू.ई.ई.एम./आई.ई.- वि.भ.की सूची/ 2019-20/7218-7245

दिनांक 15/01/20

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ/कार्यवाही हेतु प्रस्तुत

1. उप- शिक्षा निदेशक /जिला परियोजना अधिकारी - जिला- पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली व मध्य
2. उप-शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली 110024
3. सचिव(शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी सचिव, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक -समग्र शिक्षा दिल्ली
5. जिला शहरी संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (डी.यू.आर.सी.सी.), जिला - पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली व मध्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (सी.आर.सी.सी.) को तुरन्त सूचित करे कि उन्हें सिर्फ MCD, MCD Aided, NDMC, NDMC Aided व DCB के स्कूलों में पढ रहे बच्चों की सूचना लानी है, एवं जिन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना पूर्ण नहीं थी, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापको /अध्यापकों से पुनः सम्पर्क करके अधूरी सूचना पूर्ण कराने में आवश्यकतानुसार मदद करके अपेक्षित सूचना प्राप्त कर जिले स्तर पर एकत्रित कर साफ्ट कापी (iebdohq@gmail.com) एवं हार्ड कॉपी उप - शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली में दिनांक 25/01/2020 तक अवश्य प्राप्त कराये।
6. अनुभाग अधिकारी (सूचना तकनीकी) से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर इसे अपलोड कराये।


15/01/2020
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
समग्र शिक्षा, दिल्ली

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Department of Education
District North, Lucknow Road, Delhi - 110054

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: spd_delhi@rediffmail.com

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि.भ.की सूची/ 2019-20/ 517/ 5830-55

दिनांक: 29/10/19

सेवा में,

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1824, उद्योग सदन पडपडगंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिण नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केंद्र सातवां तल, नई दिल्ली
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली

विषय: स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को विभिन्न भत्ते के लिए निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त कराने हेतु बच्चों की सूची एकत्रित करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या - यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/2594-2604 दिनांक 26/06/19, यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/3572-3602 दिनांक 31/07/19, यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/4595-4605 दिनांक 12/09/2019 व यू.ई.ई.एम./आई.ई.-वि.भ.की सूची /2019-20/517/ 5198-5228 दिनांक 09/10/19 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूचना मांगी गयी थी। पत्र में यह भी जानकारी दी गयी थी कि प्रारूप में दर्शाये गये सभी कालम में मांगी गई सभी सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही व स्पष्ट भरी होनी चाहिए, कोई भी कालम रिक्त न रहे एवं बच्चों का " बैंक खाता" सक्रिय होना आवश्यक है। प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

जिले स्तर से प्राप्त करायी गयी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूची का निरीक्षण / जाँच करने पर पाया गया है कि अधिकतर "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित कुछ सूचना नहीं दी गयी है जैसे - बैंक खाता संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate), छात्र आई.डी. व आधार कार्ड इत्यादि के कालम में NA (Not Available) प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न भत्ते (Allowances) का लाभ सभी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को मिल सके इसके लिए प्रारूप में मांगी गयी सभी सूचनाओं का प्राप्त कराना अति आवश्यक है, परन्तु अभी तक

मांगी गयी अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सी.डब्ल्यू. एस.एन. से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची साफ्ट कापी (सी.डी.) में पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची जो साफ्ट कापी (सी.डी.) में उपलब्ध है उसका अवलोकन करें एवं आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे कि जिन स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की सूचना किसी कारणवश उपलब्ध न होने की वजह से अधूरी अथवा नहीं दी गई है उनके अभिभावकों से मांगी गयी आवश्यक सूचना प्राप्त करें इसके पश्चात उक्त सूचना संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को दिनांक 06-11-2019 तक अवश्य ही प्राप्त कराये।

"विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN)"की सूचना निर्धारित प्रारूप में गलत अथवा अधूरी देने की स्थिति में स्कूलों के संबंधित अधिकारी /कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।


संलग्नक : उपर्युक्त

44
24/11/2019
(प्रेमानन्द पुष्टि)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
समग्र शिक्षा

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ / कार्यवाही हेतु

1. उप- शिक्षा निदेशक /जिला परियोजना अधिकारी - जिला- पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य
2. उप-शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली 110024
3. सचिव(शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी सचिव, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक -समग्र शिक्षा दिल्ली
5. जिला शहरी संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (DURCC),जिला - पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को सूचित करे एवं जिन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना अभी तक पूर्ण नहीं थी, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से पुनः सम्पर्क करके अधूरी सूचना पूर्ण कराने में आवश्यकतानुसार मदद करके अपेक्षित सूचना प्राप्त कर जिले स्तर पर एकत्रित कर साफ्ट कापी (iebdoehq@gmail.com) एवं हार्ड कॉपी उप - शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली में दिनांक 09/11/2019 तक अवश्य प्राप्त कराये।

44
24/11/2019
(प्रेमानन्द पुष्टि)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
समग्र शिक्षा



अति आवश्यक

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Department of Education

District North, Lucknow Road, Delhi - 110054

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: spd_delhi@rediffmail.com

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि.भ.की सूची/ 2019-20/ 517/ 5198-5228 दिनांक 9/10/19

सेवा में,

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1824, उद्योग सदन पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिण नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केंद्र सातवां तल, नई दिल्ली
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली

विषय: स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को विभिन्न भत्ते के लिए निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त कराने हेतु बच्चों की सूची एकत्रित करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या - यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/2594-2604 दिनांक 26/06/19, यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/3572-3602 दिनांक 31/07/19 व यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/4595-4605 दिनांक 12/09/2019 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूचना मांगी गयी थी। पत्र में यह भी जानकारी दी गयी थी कि प्रारूप में दर्शाये गये सभी कालम में मांगी गई सभी सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही व स्पष्ट भरी होनी चाहिए, कोई भी कालम रिक्त न रहे एवं बच्चों का "बैंक खाता" सक्रिय होना आवश्यक है। प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

जितने स्तर से प्राप्त करायी गयी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूची का निरीक्षण / जाँच करने पर पाया गया है कि अधिकतर "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित कुछ सूचना नहीं दी गयी है जैसे - बैंक खाता संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate), एच आई.डी. व आधार कार्ड इत्यादि के कालम में NA (Not Available) प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न भत्ते (Allowances) का लाभ सभी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को मिल सके इसके लिए प्रारूप में मांगी गयी सभी सूचनाओं का प्राप्त कराना अति आवश्यक है, परन्तु अभी तक मांगी गयी अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। स्वे.उम्. एन.एन. से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची सार्वतः कपी (को.प्र.) में पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची जो साफ्ट कपी (सी.डी.) में उपलब्ध है उसका अमलोगन करे एवं आवश्यकता अनुसार अपने कार्यालय से आगे वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे कि जिन स्कूलों में यह रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की सूचना किसी कारणवश उपलब्ध न होने की वजह से अधूरी अथवा ग़रीबी की गई है उनको अभीआगत की गयी गयी आवश्यक सूचना प्राप्त करें इससे पश्चात उक्त सूचना संयुक्त संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को दिनांक 18-10-2019 तक अवश्य ही प्राप्त कराये।

"विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWBHN)"की सूचना निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में स्कूलों के संबंधित अधिकारी/कार्यवाही स्तर जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक : उपर्युक्त

महेन्द्रपाल

(महेन्द्र पाल)

उप-शिक्षा निदेशक

समग्र शिक्षा

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि.अ.की सूची/ 2019-20/517/

5198-5298

दिनांक 9/10/19

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ / कार्यवाही हेतु

1. उप- शिक्षा निदेशक /जिला परियोजना अधिकारी - जिला- पूर्वी, उत्तरी पूर्व, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य
2. उप-शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, सेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली 110024
3. सचिव(शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी राधिय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक -समग्र शिक्षा दिल्ली
5. जिला शहरी संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (DURCC), जिला - पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समन्वय में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (CRCC) को सूचित करें एवं जिन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना अभी तक पूर्ण नहीं थी, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से पुनः सम्पर्क करके अधूरी सूचना पूर्ण कराने में आवश्यकतानुसार मदद करके अपेक्षित सूचना प्राप्त कर जिसे स्तर पर एकत्रित कर साफ्ट कपी (lebdohq@gmail.com) एवं हार्ड कॉपी उप- शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, सेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली में दिनांक 23/10/2019 तक अवश्य प्राप्त कराये।

महेन्द्रपाल

(महेन्द्र पाल)

उप-शिक्षा निदेशक

समग्र शिक्षा

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Department of Education
District North, Lucknow Road, Delhi - 110054

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: spd_delhi@rediffmail.com

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि.भ.की सूची/2019-20/ (A-F) S-1-2015

दिनांक 12/9/19

सेवा में,

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1124, उद्योग राइन पडपडुगज, इन्डिया टावर, दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिण नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पासिगल बेंड सातवां तल, नई दिल्ली
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली

विषय: स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को विभिन्न भातों के लिए निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त कराने हेतु बच्चों की सूची एकत्रित करने के संबंध में

महोदय महोदया,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में द्वारा कार्यालय के पत्रांक राख्या - यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/2594-2604 दिनांक 26/06/19 व - यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/3572-3602 दिनांक 31/07/19 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूचना मांगी गयी थी। पत्र में यह भी जानकारी दी गयी थी कि प्रारूप में दर्शाये गये सभी कालम में मांगी गई सभी सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही व स्पष्ट भरी होनी चाहिए, योई भी कालम रिक्त न रहे एवं बच्चों का बैंक खाता सक्रिय होना आवश्यक है। प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

विभिन्न जिलों के संयुक्त संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CIRCC) द्वारा स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूचना प्रधानाध्यापकों से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करके जिले स्तर पर एकत्रित कर ली गयी है।

जिले स्तर से प्राप्त करायी गयी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूची का निरीक्षण / जाँच करने पर पाया गया है कि अधिकतर "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित कुछ सूचना नहीं दी गयी है जैसे - बैंक खाता संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate), छात्र आई.डी. व आधार कार्ड इत्यादि के कालम में NA (Not Available) प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न जिलों से प्राप्त नगर निगम दिल्ली, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ रहे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बन्धित सूचनाओं की यथास्थिति के आधार पर जिले वार व प्रबन्धन वार विवरण "अ" और "ब" पर इस प्रकार है :-

विवरण "अ"

जिले का नाम	कुल प्राप्त करायी गयी सी.डब्ल्यू. एस.एन. की संख्या	अपेक्षित पूर्ण सूचना प्राप्त करायी गयी सी.डब्ल्यू. एस.एन. की संख्या	अपूर्ण सूचना प्राप्त करायी गयी सी.डब्ल्यू. एस.एन. की संख्या
East	314	35	279
North East	315	20	295
North	109	13	96
North West A	301	62	239
North West B	247	20	227
West A	173	19	154
West B	285	8	277
South West - A	99	12	87
South West - B	286	25	261
South	171	9	162
South East	268	19	249
New Delhi	89	26	63
Central	42	6	36
Total	2699	274	2425

विवरण "ब"

पदस्थ का नाम	कुल प्राप्त करायी गयी सी.डब्ल्यू. एस.एन. की संख्या	अपेक्षित पूर्ण सूचना प्राप्त करायी गयी सी.डब्ल्यू. एस.एन. की संख्या	अपूर्ण सूचना प्राप्त करायी गयी सी.डब्ल्यू. एस.एन. की संख्या
नगर निगम दिल्ली (पू. उत्तरी व दक्षिण)	2544	242	2302
नई दिल्ली नगर निगम	116	27	89
दिल्ली छावनी बोर्ड	39	5	34
Total	2699	274	2425

विभिन्न भत्ते (Allowances) का लाभ सभी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को मिल सके इसके लिए प्रारूप में मांगी गयी सभी सूचनाओं का प्राप्त कराना अति आवश्यक है। सी.डब्ल्यू. एस.एन. से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची साफ्ट कापी (सी.डी.) में पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि सी.डब्ल्यू. एस.एन. से सम्बन्धित अपूर्ण सूचना वाली सूची साफ्ट कापी (सी.डी.) में उपलब्ध करायी जा रही है उसका अवलोकन करें एवं आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे कि जिन स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की सूचना किसी कारणवश उपलब्ध न होने की वजह से अधूरी अथवा नहीं दी गई है उनके अभिभावकों से मांगी गयी आवश्यक

सूचना प्राप्त करे इसको पश्चात उक्त सूचना संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को दिनांक 24-09-2019 तक अवश्य प्राप्त कराये।

"विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की सूचना निर्धारित पारुष में मलत अथवा अपूर्ण देने की स्थिति में स्कूलों के संबंधित अधिकारी/कार्यकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक : उपर्युक्त

महेन्द्र पाल

(महेन्द्र पाल)
उप-शिक्षा निदेशक
समग्र शिक्षा

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.- वि.ग. की सूची/ 2019-20/ 4-595-4605


दिनांक 12/9/19

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ / कार्यवाही हेतु

1. उप- शिक्षा निदेशक/जिला परियोजना अधिकारी - जिला- पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य
2. उप-शिक्षा निदेशक (112-13) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली 110024
3. सचिव(शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी सचिव, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक -समग्र शिक्षा दिल्ली
5. जिला शहरी संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (DUARCC), जिला - पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त समन्वयक में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (CRCC) को सूचित करें एवं जिन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना पूर्ण नहीं थी, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से पुनः सम्पर्क करके अपूर्ण सूचना पूर्ण कराने में आवश्यकतानुसार मदद करके अपेक्षित सूचना प्राप्त कर. जिले स्तर पर एकत्रित कर साफ्ट कापी (iebdohq@gmail.com) एवं हार्ड कॉपी उप - शिक्षा निदेशक (112-13) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली में दिनांक 25/09/2019 तक अवश्य प्राप्त कराये।

महेन्द्र पाल

(महेन्द्र पाल)
उप-शिक्षा निदेशक
समग्र शिक्षा



OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Department of Education

District North, Lucknow Road, Delhi - 110034

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: spd_delln@ueemission.com

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि.भ.की सूची/ 2019-20/ 3572-3602

दिनांक 21/1/19

सेवा में,

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1824, उद्दोग रादन पक्षपक्षगज, हुकुरिद्वारा परिया, दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिण नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केंद्र सातवां ताल, नई दिल्ली
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली

विषय: स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को विभिन्न भत्ते के लिए निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त कराने हेतु बच्चों की सूची एकत्रित करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या - यू.ई.ई.एम./ आई.ई.-वि. भ. की सूची /2019-20/2594-2604 दिनांक 26/06/19 को प्रेषित पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूचना मांगी गयी थी। पत्र में यह भी जानकारी दी गयी थी कि प्रारूप में दर्शाये गये सभी कालम में मांगी गई सभी सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही व स्पष्ट अरी होनी चाहिए, कोई भी कालम रिक्त न रहे एवं बच्चों का "बैंक खाता" सक्रिय होना आवश्यक है। प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

विभिन्न जिलों के संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) द्वारा स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूचना प्रधानाध्यापको से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करके जिले स्तर पर एकत्रित कर ली गयी है।

जिले स्तर से प्राप्त करायी गयी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) की सूची का निरीक्षण / जाँच करने पर पाया गया है कि कुछ "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" से सम्बन्धित कुछ सूचना नहीं दी गयी है जैसे - बैंक खाता संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) व आधार कार्ड इत्यादि के मामले में NA (Not Available) प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न भत्ते (Allowances) का लाभ सभी "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को मिल सके इसके लिए सभी सूचनाओं का प्राप्त कराना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे कि जिन स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की सूचना किसी कारणवश उपलब्ध न होने की वजह से अधूरी अथवा नहीं दी गई है उनके अतिभावकों से मांगी गयी आवश्यक सूचना प्राप्त करें इसके पश्चात उक्त सूचना संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को दिनांक 12-08-2019 तक अवश्य प्राप्त कराये ।

संलग्नक : उपर्युक्त

महेन्द्र पाल

(महेन्द्र पाल)

उप-शिक्षा निदेशक

समग्र शिक्षा

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.- वि.भ.की सूची/ 2019-20/ 35म 2- 3602

दिनांक 31/7/19

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ / कार्यवाही हेतु

1. उप- शिक्षा निदेशक /जिला परियोजना अधिकारी - जिला- पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य
2. उप-शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली 110024
3. सचिव(शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी सचिव, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक -समग्र शिक्षा दिल्ली
5. जिला शहरी संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (DURCC), जिला - पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (CRCC) को सूचित करे एवं जिन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना पूर्ण नहीं थी, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से पुनः सम्पर्क करके अधूरी सूचना पूर्ण कराने में आवश्यकतानुसार मदद करे व स्कूलों से अपेक्षित सूचना प्राप्त कर जिले स्तर पर एकत्रित कर साफ्ट कापी (iebdoehq@gmail.com) एवं हार्ड कॉपी उप - शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली में दिनांक 15/08/2019 तक अवश्य प्राप्त कराये ।
6. अनुभाग अधिकारी (सूचना तकनीकी) से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर इसे अपलोड कराये ।

महेन्द्र पाल

(महेन्द्र पाल)

उप-शिक्षा निदेशक

समग्र शिक्षा

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Department of Education

District North, Lucknow Road, Delhi - 110054

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: epd_delhi@rediffmail.com

यू.ई.ई.एम./ आई.ई.- वि.अ.की सूची/ 2019-20/ 2 594-2604

दिनांक 26/06/19

सेवा में,

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1824, उद्योग सदन पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिण नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केंद्र सातवां तल, नई दिल्ली
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली

विषय: स्कूलों में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" (CWSN) को विभिन्न भत्ते के लिए निर्धारित धनराशि उनके बैंक खाते में प्राप्त कराने हेतु बच्चों की सूची एकत्रित करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि समय शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा हेतु वर्ष 2019-20 में विभिन्न भत्ते (Allowances) जैसे - Escort Facility, Reader Allowances, Transport Allowances, Therapeutic services & Girls stipend इत्यादि के लिए निर्धारित धनराशि "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) " के बैंक खाते " में सीधे भेजने की योजना है, इसलिए बच्चों की सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना एकत्रित करने के लिए प्रारूप संलग्न है।

प्रारूप में दर्शाये गये सभी कालन में मांगी गई सभी सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही व स्पष्ट भरी होनी चाहिए, कोई भी कालन रिक्त न रहे एवं बच्चों का " बैंक खाता " सक्रिय होना आवश्यक है।

अतः आप से अनुरोध है कि अपने विभाग के संबंधित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे कि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में मांगी गई "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की सभी सूचना सावधानीपूर्वक सही-सही भर कर "साफ्ट कापी एवं हार्ड कॉपी "संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (CRCC), समय शिक्षा को अवश्य प्राप्त कराये।

"विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN)"की सूचना गलत अथवा अधूरी देने की स्थिति में संबंधित अधिकारी /कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक: प्रारूप



(कमल दीप गुप्ता)

उप-शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा)
दिल्ली

पृ. सं. ई. एम./ आई. ई. - वि. भा. की सूची/ 2019-20/ 2594-2604

दिनांक 26/06/19

पत्रिकापि आवश्यक कार्यवाही / सूचनार्थ हेतु

1. उप- शिक्षा निदेशक / जिला परियोजना अधिकारी - जिला- पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य
2. उप- शिक्षा निदेशक (IE-B) लाजपत नगर, दिल्ली
3. सचिव(शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी सचिव, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक -समग्र शिक्षा दिल्ली
5. जिला शहरी संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता(DURCC), जिला - पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, नई दिल्ली, मध्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता (CRCC) को सूचित करे एवं आपके द्वारा सिर्फ MCD, MCD Aided, NDMC, NDMC Aided एवं DCB के स्कूलों में पढ़ रहे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना जितने स्तर पर एकत्रित कर साफ्ट कापी (iedc09@gmail.com) एवं हार्ड कॉपी उप- शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, अमृता शेरगिल स्कूल बिल्डिंग के पीछे, लाजपत नगर, दिल्ली में दिनांक 15/07/2019 तक अवश्य प्राप्त कराये। DOE, DOE Aided में पढ़ रहे "विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की सूचना आपको प्राप्त नहीं करानी है।
6. अनुभाग अधिकारी (सूचना तकनीकी) से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर इसे अपलोड कराये।

(कमल दीप गुप्ता)

उप-शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा)
दिल्ली

o/c

4/20

Performa for collecting data of children with disabilities studying in schools of MCD, MCD Aided, NDMC, NDMC Aided & DCB during 2019-20

(Pre-Primary to Class XIIth)

S.No	School Name	School ID	School Name	School Type (MCD, NDMC, DCB, MCD Aided, NDMC Aided, MCD Aided)	Class & Section	Student ID	Student Name	Date of Birth	Category (Gr, OBC, SC, ST)	Father's Name	Mother's Name	Gender	Category of Disability (As per RPWD Act, 2016)	Disability Certificate (Yes/No)	Disability percentage	Bank Name	IFSC Code	Bank Account Number	Asstt. Number	Braille Book Required (Yes/No)	If Braille Book Required specify mechanism (Email/Text)	Large Print Book required (Yes/No)

o/c

Name _____
Signature of HOD with Stamp _____